6- भागीदारी प्रलेख

यह भागीदारी प्रलेख आज दिनांक ..... माह .....सन् ... . को ..... के दिन .....तहसील..... जनपद .... में निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा एवं उनके बीच निष्पादित किया गया –

(1) श्री ..... आत्मज ..... आयु ..... निवासी .....
.....

(2) श्री ..... आत्मज ..... आयु ..... निवासी .....
.....

(3) श्री ..... आत्मज ..... आयु ..... निवासी .....
.....

उक्त भागीदार को आगे क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। और चूँकि हम सब भागीदारों ने मिलकर संयुक्त रूप से ..... का व्यवसाय करने एवं उसके लाभों को बॉटने के लिए एक भागीदारी फर्म का गठन करने का निश्चय किया है एवं निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत हम इस भागीदारी प्रलेख को निष्पादित करते हैं –

(1) यह कि इस भागीदारी फर्म को ..... नाम से सम्बोधित किया जायेगा एवं दिनांक ..... से इसका व्यवसाय आरम्भ माना जायेगा।

(2) कि फर्म का मुख्य कार्यालय ..... स्थान पर होगा और भागीदारों की राय से इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

(3) यह किसी उक्त भागीदारी फर्म का गठन (संख्या.....) वर्षो के लिए किया जाता है, पर बाद में भी सभी पक्षकारों की सहमति से उसे चालू रखा जा सकेगा।

(4) यह कि भागीदारी फर्म की कुल पूंजी ...../–रूपये होगी, जिसमें तीनों भागीदारों का बराबर अंशदान होगा।

(5) यह कि फर्म के लाभों को तीनों भागीदारों में समान रूप से बांटा जावेगा एवं हानि तीनों भागीदार समान रूप से वहन करेगें।

(6) यह कि भागीदारी फर्म के लाभों का बंटवारा करने एवं लेखा जोखा तैयार करने के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक माना जायेगा।

(7) यह कि भागीदार उक्त प्रथम पक्षकार को फर्म का प्रबन्धक नियुक्त करते है, एवं उसे एतद् द्वारा इस करार के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य सौंपते हैः–

(i) यह कि वह भागिता के कारोबार का निर्देशन एवं देखभाल करेगा।

(ii) यह कि वह फर्म के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति, पदमुक्ति
एवं पदौन्नति कर सकेगा पर उनके वेतन का निर्धारण तीनों भागीदार मिलकर करेगें।

(iii) यह कि वह फर्म की और से न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगा, अपनी इच्छा से किसी अधिवक्ता, मुख्तार, अभिकर्ता या प्रबन्धक की नियुक्ति या पद मुक्ति कर सकेगा।

(iv) यह कि फर्म का सारा लेखा जोखा तैयार करवायेगा एवं समय समय पर उसका निरीक्षण निर्देशन करता रहेगा।

(v) यह कि फर्म की ओर से वह ..... बैंक में भागीदारी फर्म के नाम से खाता खोलेगा एवं अपने हस्ताक्षर से उसे चलायेगा।

(vi) यह कि वर्ष के अन्त में फर्म के लाभों की तीनों पक्षकारों में बराबर अदायगी करवायेगा।

(8) यह कि प्रबन्धक को अपने उक्त कार्यो के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा।

हस्ताक्षर, प्रथम पक्षकार
हस्ताक्षर, द्वितीय पक्षकार
हस्ताक्षर, तृतीय पक्षकार
साक्षीगण (नाम, पिता का नाम व पता)
(1) .....
(2) .....